झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
प्रोजेक्ट भवन, चतुर्थ तल, धुर्वा, राँची–834004

संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर नियुक्ति।

एतद द्वारा झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार अधिनियम, 2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हताधारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन दिनांक–10.07.2017 तक निम्नांकित पते पर निबंधित डाक से, नियुक्ति से संबंधित विस्तृत विज्ञापन में वांछित सूचनायें तथा तत्संबंधी घोषणाओं के साथ हस्तलिखित अथवा टंकित रूप में समर्पित किया जाना है :–

आवेदन प्राप्ति का पता – श्री राहुल कुमार, अवर सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
कमरा नं0–414,
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा,
राँची–834004

उक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित विस्तृत विज्ञापन (विज्ञापन संख्या–**4027**/2017) विभागीय वेबसाईट www.udhd.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
विज्ञापन

विज्ञापन संख्या– **4027** रॉंची, दिनांक–28.06.2017

झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर नियुक्ति ।

नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या–1665 दिनांक–10.03.2017 के द्वारा झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार अधिनियम, 2016 अधिसूचित किया गया है, जिसके आलोक में झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार की स्थापना की जानी है।

2. उल्लेखनीय है कि झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत नगरों में निवास करने वाले आमजनों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध भू–गर्भीय जल संसाधनों के स्रोतों का संरक्षण, भूमि के ऊपरी सतह पर (सतही) जल के स्तर को (Rain water harvesting, uprade/recharge and conservation of surface water) ऊपर उठाने हेतु वर्षा के जल का संरक्षण, जल स्रोतों का उन्नयन (Water recharge) तथा जल के विनियमन, जल के पीने और इससे संबंधित या अनुषांगिक अन्य प्रयोजनों के लिए सतत् और वैज्ञानिक जल प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु तथा इसके प्रभावी एवं समुचित उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए यह व्यवस्था की गयी है।

3. उपर्युक्त क्रम में झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित अर्हता एवं अनुभव प्राप्त व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :–

क्र0सं0	पद का नाम	संख्या	शैक्षणिक योग्यता	अन्य अर्हतायें
1.	अध्यक्ष	01	स्नातक	1. न्यूनतम 25 वर्षों के प्रशासनिक/ तकनीकी सेवा का अनुभव। 2. राज्य सरकार में सचिव/अभियंता प्रमुख स्तर का पदधारण किया गया हो। 3. शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, जल संचयन एवं जल संसाधन के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो।
2.	सदस्य (प्रशासन)	01	अर्थशास्त्र/ सामान्य विज्ञान/ सांख्यिकी/ प्रबंधन में मास्टर डिग्री/ प्रबंधन में पी0जी0 डिप्लोमा या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता रखता हो।	प्रशासनिक कार्य का कम से कम 25 वर्षों का अनुभव।
3.	सदस्य (तकनीकी)	01	बी0टेक/बी0ई0 (सिविल, यांत्रिक, जल विज्ञान एवं संबंधित क्षेत्र)	1. विशेषज्ञ जिन्होंने जल संरक्षण तथा पेय जलापूर्ति एवं जल संसाधन के क्षेत्र में कार्य किया हो । 2. शुद्ध पेयजल की आपूर्ति/जल संचयन/जल संसाधन के क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षों का सेवा अनुभव हो, तथा 3. मुख्य अभियंता या समकक्ष पद पर सेवा दे चुका हो ।

4. इनकी सेवा अवधि 03 वर्षो के लिए होगी एवं इनकी अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्षों की होगी।

5. प्राधिकार का अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने कार्यालय के दौरान कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा।

6. प्राधिकार के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन एवं भत्ते :–

(I) प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों आदि का मानदेय (पारिश्रमिक) एवं भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(II) यदि सरकार के वर्त्तमान पदाधिकारी को प्राधिकार के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि तक उन्हें वही वेतन, भत्ते एवं अन्य लाभ प्राप्त होंगे, जबतक कि वे अपने कैडर से सेवानिवृत्त न हो जायें।

(III) अध्यक्ष या सदस्य अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के आलोक में यदि पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो उन्हें उनके पेंशन की राशि घटाकर अंतिम परिलब्धियों के बराबर मानदेय (पारिश्रमिक) भुगतेय होगा। यह राशि किसी भी परिस्थिति में उन्हें सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त होने वाली सकल परिलब्धियों से अधिक नहीं होगा।

अध्यक्ष एवं सदस्य के पदों पर सेवानिवृत पदाधिकारी की नियुक्ति होने की स्थिति में सेवानिवृति की तिथि को उन्हें अनुमान्य आवासन, चिकित्सीय तथा यात्रा संबंधी अन्य सुविधाएं आदि उन्हें नियुक्ति के पश्चात्पूर्ववत प्राप्त होंगी।

(IV) वैसे व्यक्ति जो सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं रहे हो और वे प्राधिकार के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाते हैं तो अध्यक्ष एवं सदस्य को मानदेय (पारिश्रमिक), भत्ते और सुविधाएं वही होंगी, जो राज्य सरकार में क्रमशः मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव को है।

7. किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चयन हेतु विचार किये जाने हेतु उनके द्वारा निम्नांकित के संबंध में सूचित किया जायेगा :–

(I) कोई पद, नियोजन या परामर्श कार्य समझौता या व्यवस्था जो उसके अपने या संबंधी के नाम से है अथवा कोई फर्म, व्यक्तियों का समूह या निगमित निकाय का मालिक है या उनके द्वारा अन्यथा नियंत्रित हो, जिसमें निम्नलिखित क्रियाकलाप शामिल है :–

(i) सतही जल का दिशा परिवर्तन, पानी का वितरण, भू–जल का निकाय या जलापूर्ति संबंधी किसी व्यापार को व्यवसायिक सेवायें प्रदान करता है,

(ii) जल उद्योग से संबंधित निर्माण, बिक्री, पट्टा किराया अथवा उससे संबंधित मशीनरी की आपूर्ति या सौदा संबंधी किसी व्यापार को व्यवसायिक सेवायें प्रदान करता है।

8. यदि कोई व्यक्ति जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जायेगा यदि वह राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम या किसी भी सरकारी निकाय के अधीन कोई पद पर हो या लाभप्रद रूप में नियोजित है अथवा किसी अन्य व्यक्ति, सरकारी प्राधिकार सार्वजनिक या निजी क्षेत्र या अन्य सेवा में लाभ के पद पर है तो वह प्राधिकार में योगदान देने से पूर्व अपना इस्तीफा सौपेगा या उससे स्वैच्छिक सेवानिवृति लेगा।

9. झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार अधिनियम, 2016 विभागीय वेबसाईट www.udhd.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है, जहाँ उपर्युक्त क्रम में समस्त विवरणी दृष्टव्य है।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।